342

(6)

संख्या-396/XVIII-(2)/15-3(1)/2011

प्रेषक,

आर. मीनाक्षी सुंदरम्,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार एवं पिथौरागढ़।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 20 अक्टूबर, 2015

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के संचालन हेतु मानव संसाधन के वेतन हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्र संख्या–160/तेरह–आ.प्र./बजट–डी.डी.एम.ए./2015–16, दिनांक 08.10.2015 द्वारा ₹ 7.00 लाख एवं जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्र संख्या–2744/तेरह–आ.प./205–16, दिनांक 09.10.2015 द्वारा ₹ 10.00 लाख की धनराशि जनपद आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के सुचारू संचालन हेतु वेतन मद में अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़ एवं हरिद्वार में स्थापित जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के संचालन हेतु कार्मिकों के वेतन के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में उपलब्ध बजट व्यवस्था के सापेक्ष जनपद पिथौरागढ़ को ₹ 1.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) एवं जनपद हरिद्वार हेतु ₹ 2.00 लाख (₹ दो लाख मात्र) की धनराशि के आहरण एवं व्यय हेतु निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय स्वीकृत मदों में ही किया जायेगा। धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। धनराशि का गलत उपयोग होने पर संबन्धित जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण व व्यय मासिक आधार पर किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि नहीं किया जायेगा और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एवं मदवार व्यय विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वर्षान्त पर कोई धनराशि अवशेष रहती है तो शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

4— व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

5— स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2016 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6— इस संबन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–08– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अंतर्गत मानक मद संख्या–01– वेतन के नामें डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–400/XXVII (1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 में दिये गये निर्देशानुसार निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(आर. मीनाक्षी सुंदरम्)
प्रभारी सचिव

संख्या–3696. (1)/XVIII-(2)/15-3(1)/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3— अपर सचिव/वित्त एवं व्यय अनुभाग।
4— कोषाधिकारी पिथौरागढ़ एवं हरिद्वार।
5— निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
6— राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
7— बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
8— प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9— अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10—वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11—धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
12—गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर. मीनाक्षी सुंदरम्)
प्रभारी सचिव